पूर्वोत्तर में समझौतों ने खोले समाधान के द्वार

केंद्र सरकार के नीतिगत प्रयासों से कई दशक पुरानी अनेक समस्याओं का संवाद और समझौते से स्थाई समाधान कर पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता स्थापित की गई है।

एनएलएफटी/एसडी समझौता (2019)

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सबीर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT-SD) के साथ समझौता किया और एक आत्मसमर्पण समारोह में 44 हथियारों के साथ 88 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया। समझौते के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ₹100 करोड़ के विशेष आर्थिक विकास पैकेज का प्रावधान रखा गया।

ब्रू-रियांग समझौता (2020)

भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) के स्थाई अधिवास के लिए 16 जनवरी 2020 को गृह मंत्री जी की उपस्थिति में ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, 6,959 ब्रू परिवारों (37,136 व्यक्तियों) का त्रिपुरा में पुनर्वास किया जाएगा और त्रिपुरा में उनके पुनर्वास के लिए ₹661 करोड़ की वित्तीय सहायता/पैकेज दिया जाएगा।

बोडो समझौता (2020)

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दीर्घ काल से लंबित बोडो मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें ₹1500 करोड़ के विशेष विकास पैकेज का भी प्रावधान रखा गया। इस समझौते के बाद एनडीएफबी गुटों के 1615 कार्यकर्ताओं ने अपने हथियार डाल दिए।

कार्बी समझौता (2021)

असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करने के लिए कार्बी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2021 को गृह मंत्री जी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।

आदिवासी शांति समझौता(2022)

असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दीर्घ काल से लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर 2022 को 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हो गए।

असम-मेघालय अंतरराज्यीय सीमा समझौता(2022)

29 मार्च 2022 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में समाधान किया गया है। अब दोनों राज्यों के बीच लगभग 70 प्रतिशत सीमा विवादमुक्त हो गई है।

असम-अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता (2023)

20 अप्रैल 2023 को इस ऐतिहासिक समझौते (MoU) पर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए। यह MoU 123 विवादित गाँवों के संबंध में पूर्ण और अंतिम समझौता होगा और भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधित कोई नया दावा नहीं किया जाएगा।

दिमासा शान्ति समझौता (2023)

27 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) के बीच हिंसा खत्म करने और दिमासा लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। इस समझौते में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों ने हिंसा का मार्ग छोड़ कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है और 168 सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ शांति समझौता(2023)

भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सामान्य रूप से उत्तर पूर्व और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को करेगा। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक शांति निगरानी समिति (पीएमसी) का गठन किया जाएगा।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओएस) (2023)

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में, 29 दिसंबर 2023 को भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoS) पर हस्ताक्षर किए गए। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत पांच साल की अवधि में 5000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। उल्फा की मांगों को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति भी बनाई जाएगी।